PRAKASH WOOLLEN & SYNTHETIC MILLS LTD.

Manufacturers, Exporters & Importers of High Class Mink Blankets

Regd. Office & Works :
18th KM. Stone Delhi Moradabad Road, NH-24, Vill. Amhera PO. Chaudherpur, Distt. Amroha - 244 102 U.P.
CIN: L17291UP1979PLC004804 • Tel:0591-2223008, 2223018, 8057908236 • Fax : 0591-2223009

H. O. & Mailing Address :
430, Civil Lines, Kanth Road, Moradabad - 244001 U.P. (India) • Mob. : 9837007288
E-mail : info@prakashwoollen.com • Website : www.prakashwoollen.com

Date: 01.08.2018

The Manager
Department of Corporate Relationship
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400001

SCRIPCODE: 531437
SCRIP ID- PWASML

SUB: - NEWS PAPER CUTTING OF NOTICE OF BOARD MEETING FOR APPROVAL OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2018

Dear Sir,
Please find enclosed copy of newspaper cutting of Notice of Meeting of Board of Directors to consider and approve the Un-Audited Financial Result for the Quarter ended on 30th June, 2018 published in:

A. Pioneer dated 01.08.2018 (English Daily)
B. Hindustan dated 31.07.2018 (Hindi Daily)

Please take on record.

Thanking you,
Yours faithfully,

FOR PRAKASH WOOLLEN & SYNTHETIC MILLS LIMITED

Ruchi gupta

(Ruchi Gupta)
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A48300

Encl. as above

आज का दिन
1971 में अपोलो 15 मिशन में गए अंतरिक्ष यात्रियों ने करीब छह घंटे तक चंद्रमा के सतह पर इलेक्ट्रिक कार चलाई।

कोर्ट ने कहा, विवाह के बाहर भी महिला के कर्तव्य, पति के लिए अधीनता संविधान का परीक्षण पास नहीं कर सकती

महिला की जिंदगी सिर्फ शादी के लिए नहीं : सुप्रीम कोर्ट

महिलाओं का खतना

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज में नाबालिग लड़कियों का खतना करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला को अपनी जिंदगी सिर्फ विवाह और पति के लिए ही नहीं जीनी होती। उसके कुछ और भी कर्तव्य हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं की पति के लिए यह अधीनता संविधान का परीक्षण पास नहीं कर सकती। यह व्यवहार उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

इस मामले में केंद्र सरकार ने इस प्रथा के खिलाफ सुनीता तिवारी आदि द्वारा दायर याचिकाओं का समर्थन किया है। सरकार ने कहा कि वह धर्म के नाम पर ऐसे किसी भी ऐसे व्यवहार का विरोध करती है जो महिलाओं के शारीरिक अंगों की अखंडता का उल्लंघन करता है।

दाऊदी बोहरा समुदाय की प्रथा

दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में लड़कियों का खतना करने की प्रथा जारी है। इसे वह खफ्ज कहते हैं, जिसमें लड़की की योनि के 3 मारी हिस्से को पूरा या आंशिक रूप से काटकर अलग कर दिया जाता है। छह से सात वर्ष की लड़कियों का किया जाता है। समुदाय के अनुसार, खतना से लड़कियों की यौनेच्छा को दबा दिया जाता है, ताकि वह विवाह होने के बाद बाहर न भटक सकें। समुदाय ने इस प्रथा का बचाव किया है और इसे धार्मिक कानून है। उल्लेखनीय है कि दाऊदी बोहरा शिया मत का एक समुदाय है।

अनेक यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में लड़कियों के खतने को अपराध घोषित किया गया है। पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए महिलाओं के साथ यह प्रथा नहीं की जा सकती कि उन्हें विवाह करना है। महिला के विवाह से बाहर भी अनेक अन्य कर्तव्य हो सकते हैं। इस मामले में कोर्ट ने पिछले दिनों महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली की सरकारों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद केरल और तेलंगाना को भी इस मामले में पक्ष बनाया गया था।

केंद्र की प्राथमिकता में तीन तलाक-पिछड़ा वर्ग विधेयक

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र के बाकी समय में तीन तलाक व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्राथमिकता वाले विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। दोनों विधेयकों को इस सप्ताह होने वाली दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति में लाया जाएगा। इनमें विधेयकों के लिए तिथि व समय तय किया जाएगा।

दोनों विधेयकों का सामाजिक व राजनीतिक महत्व होने से सरकार इसी सत्र में इन्हें पारित कराने की कोशिश में है। सामाजिक व राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से यह दोनों विधेयक परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। सरकार व भाजपा इससे देश के पिछड़ा वर्ग व मुस्लिम महिलाओं को संदेश देना चाहती है। ऐसे में इन विधेयकों के पारित होने पर राजनीतिक दल संसद के बाहर इसे भुनाने की कोशिश भी करेंगे।

ऐसे में विपक्ष भी इसमें अपने सुझाव व संशोधन लाकर अपनी हिस्सेदारी जोड़ना चाहता है, ताकि वह भी बता सके कि इन विधेयकों में सरकार के साथ उसकी भी अहम भूमिका है। सरकार ने लोकसभा के इस सप्ताह के एजेंडे में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को कार्य सूची में शामिल किया है। इस पर इसी सप्ताह सदन में बहस हो सकती है। मंगलवार को होने वाली सदन की कार्यमंत्रणा समिति में इसके लिए समय तय होगा।

लोकसभा में उठा मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला

नई दिल्ली। लोकसभा में कांग्रेस सदस्य रंजीत रंजन ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कई संस्थाओं के संबंध में रिपोर्ट आई है। ऐसा लगता है कि जब तक केंद्रीय पार्टी बिहार तक नहीं जाएगी तब तक ऐसे संस्थानों की जांच नहीं होगी।

दाण्डिक विधि संशोधन विधेयक 2018 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सदस्य ने कहा कि मुजफ्फरपुर सुधार गृह मामले में अब बातें आ रही हैं कि 29 बालिकाओं से बलात्कार हुआ था या 34 के साथ। कई संस्थानों के संबंध में रिपोर्ट आई है और एक मामले में सीबीआई जांच शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्रीय पार्टी बिहार तक नहीं जाएगी तब तक ऐसा लगता है कि ऐसे संस्थानों के मामले में जांच नहीं होगी। रंजीत रंजन ने कहा कि बलात्कार को राजनीति का अखाड़ा बनाया जाता है।

अलवर के सांसद ने पढ़ा छात्रा का सुसाइड नोट

नई दिल्ली। एम्स जोधपुर की एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठा। अलवर से सांसद करण सिंह यादव ने मामले को गंभीर बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह महज मानसिक अवसाद का मामला नहीं है।

करण सिंह ने कहा कि अलवर के ग्राम सिहाली की प्रथम वर्ष की छात्रा रश्मि यादव ने चार दिन पूर्व ही एम्स में एडमिशन लिया था। उन्होंने कहा कि छात्रा ने जो सुसाइड नोट छोड़ा है, उसे वह सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं। नोट में उसने कहा है कि मां, पापा, मामा, भाई-बहन मुझे माफ करना। मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती। लेकिन मम्मी आत्मसम्मान के बगैर नहीं जिया जा सकता। आगे वह लिखती है कि सर आईएम सॉरी। आपने मुझे ज्यादा सुना दिया। मैं आपके सामने सॉरी भी नहीं बोल सकी।

अमेजन और फ्लिपकार्ट से जवाब-तलब किया

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के उल्लंघन का भारत में बड़े पैमाने पर ई-कॉमर्स (ऑनलाइन कारोबार) के आरोपों को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने विदेशी कंपनियों फ्लिपकार्ट और अमेजन से जवाब-तलब किया है। न्यायालय ने कंपनियों और केंद्र सरकार को 9 नवंबर तक जवाब देने को कहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने यह आदेश गैर सरकारी संगठन 'टेलिकॉम वाचडॉग' की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। दाखिल याचिका में दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों पर एफडीआई की नियमों की अनदेखी कर भारत में अपना आनलाइन कारोबार करने का आरोप है।

अधिवक्ता सचदेवा ने हाईकोर्ट से अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ एफडीआई नियमों की अनदेखी के आरोप में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कार्रवाई करने की मांग की।

दयानिधि मारन को राहत देने से इनकार

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री दयानिधि मारन को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैरकानूनी टेलीफोन एक्सचेंज मामले में राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अदालत में मुकदमे का सामना करें।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री दयानिधि मारन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और मुकदमे की सुनवाई के दौरान सारे आरोपों का जवाब दिया जा सकता है।

शिकंजा

- कोर्ट ने कहा, पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री केस का सामना करें
- मुकदमे की सुनवाई के दौरान सारे आरोपों का जवाब दिया जा सकता है

यह मामला यूपीए प्रथम सरकार में द्रमुक सुप्रीमो एम करुणानिधि के पोते दयानिधि मारन के मंत्री (संचार मंत्री के कार्यकाल से संबंधित है और दयानिधि मारन के भाई कलानिधि मारन के सन टीवी नेटवर्क को लाभ पहुंचाने के लिए चेन्नई में स्थापित कथित गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ा है।

मारन ने मद्रास हाईकोर्ट के 25 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें इस मामले में आरोप मुक्त करने के सीबीआई अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत से कहा था कि इस मामले में आरोप तय किए जाएं और मुकदमे की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी की जाए। सीबीआई का आरोप है कि चेन्नई में मारन के बोट क्लब और गोपालपुरम इलाके में स्थित आवास परिसरों में उच्च शक्तिवाली 700 संप्रेषण लाइनें लगाई गई थीं जिनका कभी भी बिल नहीं बना था और इस वजह से 1.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

अनाथ बच्चे के यौन शोषण पर कोर्ट सख्त

चंडीगढ़। कैथल जिले के बत्ता गांव की आदर्श गोशाला के पंडित, उसके पत्नी व गोशाला के दो एक कर्मचारी द्वारा लगभग पांच साल के अनाथ बच्चे के यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

हाईकोर्ट ने मामले में केवल पुलिस को जांच कर उचित कदम उठाने का आदेश दिया है। योगी विश्व परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मयंक जोगी इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मयंक जोगी ने कोर्ट को बताया, इस मामले को निष्पक्ष न होने के कारण पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। (हिंटी)

15 के खिलाफ दो आरोपपत्र दायर

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

सीबीआई के निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया कि मणिपुर में सेना, असम राइफल्स और राज्य पुलिस द्वारा मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में 15 लोगों के खिलाफ दो आरोपपत्र दाखिल किए हैं।

साथ ही यह भी बताया कि 31 अगस्त तक पांच अन्य मामलों में भी अंतिम रिपोर्ट दायर कर दी जाएगी। कोर्ट अदालत ने मणिपुर में कथित न्यायेतर हत्याओं और फर्जी मुठभेड़ के मामलों की जांच पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेशक को तलब किया था।

जस्टिस मदन बी लोकुर और यू यू ललित की पीठ को सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने बताया कि मणिपुर फर्जी मुठभेड़ के मामलों के संबंध में कथित रूप से हत्या, आपराधिक साजिश और साक्ष्य नष्ट करने के लिए आरोपपत्र में 14 व्यक्तियों को नामित किया गया है। 20 अन्य ऐसे मामलों की जांच दिसंबर के अंत तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मामले परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधारपर दायर किए गए हैं जिनमें कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि जब कोई चश्मदीद होता है तो क्या उसका कोई सबूत होता। है आप उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करते हैं या नहीं। इनमें 15 लोगों में से 14 के खिलाफ धारा 302 के तहत आरोप हैं और वे खुले घूम रहे हैं।

पीठ ने हत्या, आपराधिक साजिश और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में आरोपपत्र में नामित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने या नहीं करने का निर्णय एसआईटी के प्रभारी के विवेक पर छोड़ दिया है। इस मामले में अब 20 अगस्त को आगे सुनवाई होगी। पीठ मणिपुर में 1984 में कथित रूप से न्यायेतर हत्याओं के 1,528 से अधिक मामलों की जांच को पिछले साल 14 जुलाई को विशेष जांच दल का गठन किया था।

मणिपुर मुठभेड़ मामला

- 31 तक पांच अन्य मामलों में भी अंतिम रिपोर्ट दायर कर दी जाएगी
- जांच में ढिलाई पर कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को तलब किया था

'बाल शोषण के 98% केस दर्ज नहीं होते'

अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने बाल शोषण के 97 से 98 फीसदी मामले देश में किसी सक्षम प्राधिकार के पास दर्ज ही नहीं होते हैं।

'किशोर न्याय' विषय पर रविवार को यहां आयोजित एक संगोष्ठी में न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा, 'मामले दर्ज नहीं होते हैं, क्योंकि नृशंसता या दुर्व्यवहार की ये घटनाएं परिवार के भीतर होती हैं या नजदीकी दोस्त या रिश्तेदार उन घटनाओं में शामिल होते हैं।' अनुसंधानकर्ताओं व अन्य स्रोतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'बाल शोषण के अनेक मामलों में अपराधी उसी परिवार के सदस्य या रिश्तेदार या नजदीकी दोस्त और पड़ोसी होते हैं। न्यायाधीशों को इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए।' (एजेंसी)

सबूत नष्ट करने में तिलक राज की भूमिका अहम

जम्मू/पठानकोट | एजेंसी

कठुआ में आठ वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने सोमवार को पठानकोट की एक अदालत में पूरक आरोपपत्र दायर किया। पूरक आरोपपत्र में जांच का सारांश दिया गया है कि सबूतों को नष्ट करने के लिए तिलक राज ने सांझीराम और पुलिस के बीच सौदा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा के वरिष्ठ अधीक्षक आरके जाला ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह की अदालत में दाखिल आरोपपत्र में पीड़िता पर शामक दवा (सेडेटिव) के प्रभाव के बारे में चिकित्सकीय राय, सांझीराम का बेटा विशाल कहां था, सांझीराम के दो खातों की जांच, ये सब बातें शामिल की हैं। विशाल ने दावा किया था कि वह कभी कठुआ नहीं गया। सांझीराम इस साल जनवरी में आठ वर्षीय बच्ची के अपहरण और उसकी हत्या के मामले का मुख्य आरोपी है।

'रखरखाव को संयुक्त सचिव और मंडलायुक्त जिम्मेदार'

ताजमहल संरक्षण

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

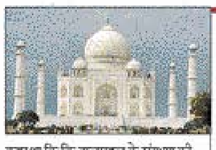

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि आगरा में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संयुक्त सचिव और आगरा मंडल के आयुक्त ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

कोर्ट ताज को वायु प्रदूषण से संरक्षण प्रदान करने के लिए याचिका पर ताज और आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की निगरानी कर रहा है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने 26 जुलाई को कहा था कि कि ताजमहल के संरक्षण की जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी। पीठ ने केंद्र से कहा था कि केंद्रीय और यूपी सरकार के उन विभागों की जानकारी दी जाए, जो ताज ट्रेपेजियम जोन की देखरेख और संरक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कोर्ट को बताया, उसके महानिदेशक ताजमहल की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

'हमारा सरोकार यूनेस्को से अधिक होना चाहिए'

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह भी बताया कि उसने 2013 में ही ताजमहल के बारे में एक योजना यूनेस्को को सौंपी थी। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि ताज के बारे में पांच साल पहले योजना यूनेस्को को सौंपी गई थी और यही वजह थी कि यूनेस्को जैसे संगठन ने ताज की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की थी। पीठ ने इस संबंध में टिप्पणी की, ताजमहल के बारे में हमारा सरोकार तो यूनेस्को से कहीं अधिक होना चाहिए।

प्राधिकरण को आड़े हाथ लिया था

शीर्ष अदालत ने इससे पहले ताजमहल की खूबसूरती बहाल करने में विफल रहने के लिए केंद्र, यूपी सरकार और ताज ट्राइपेजियम प्राधिकरण को आड़े हाथ लिया था। कोर्ट ने सवाल किया था कि अगर यूनेस्को ताज का विश्व धरोहर का तमगा वापस ले ले तो क्या होगा।

नोटा के विकल्प पर सवाल उठे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग की उस अधिसूचना पर सवाल उठाए, जिसमें राज्यसभा चुनावों के लिए बैलट पेपर में 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (नोटा) की अनुमति दी गई है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले राज्यसभा चुनावों के दौरान गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रहे शैलेश मनुभाई परमार की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। (एजेंसी)

वर्ल्ड राउंडअप

एनडीए के प्रशिक्षु कश्मीरी सीखेंगे

पुणे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) ने इस शैक्षणिक वर्ष से अपने पाठ्यक्रम में कश्मीरी, पश्तो और डारी भाषाएं शामिल की हैं। इससे प्रशिक्षु अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में तैनाती के वक्त मदद मिलेगी। एनडीए के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआत इस महीने हुई और इन भाषाओं को अकादमी में (तीन साल के पाठ्यक्रम के) अंतिम वर्ष में कैडेटों को पढ़ाया जाएगा। अकादमी में अभी पढ़ाई जाने वाली विदेशी भाषाओं में चीनी, अरबी, फ्रांसीसी और रूसी शामिल हैं।

खनन पर रोक के खिलाफ अर्जी रद

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में गंगा से खनन पर लगी रोक को हटाने के लिए दायर याचिकाओं को सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। ये याचिका उत्तराखंड वन विकास निगम और अन्य निजी कंपनियों ने दायर की थी। जस्टिस मदन बी लोकुर, दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।

वाहनों पर स्टीकर लगाने में कोई आपत्ति नहीं: केंद्र

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वाहनों पर ऐसे स्टीकर लगाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है जिससे पता चल सके कि वह बिजली चालित हैं, मिश्रित (हाइब्रिड) हैं, डीजल चालित हैं या बीएस-6 का पालन करने वाले हैं।

व्हाइट हाउस में इटली के प्रधानमंत्री का स्वागत

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में इटली के नए प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोंति आव्रजकों और व्यापार के मामले में उनके समान विचार रखते हैं।

अन्ना की भूख हड़ताल को हेगड़े का समर्थन

हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एन संतोष हेगड़े ने केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र के खिलाफ दो अक्तूबर से प्रस्तावित अन्ना हजारे की भूख हड़ताल का समर्थन किया है। पूर्व सॉलिसिटर जनरल और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में टीम अन्ना के सदस्य रहे हेगड़े ने कहा कि वह हड़ताल में शामिल होंगे।

डाटा संरक्षण पर केंद्र का प्रस्ताव ठुकराया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने डाटा संरक्षण के बारे में बीएन श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अवलोकनार्थ पेश करने के केन्द्र के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ आधार योजना और उससे संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 मई को सुनवाई पूरी कर चुकी है और अब उसके फैसले की प्रतीक्षा है।

सैन्य अफसरों ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की

नई दिल्ली। देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने देश की बाहरी सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने व चुनौतियों से निपटने के लिए सोमवार को चर्चा की। एकीकृत कमांडरों के सम्मेलन (यूसीसी) के दौरान सेना के तीनों अंगों से जुड़े मुद्दे, उनके बीच समन्वय सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की गई।

सुपरटेक को सात करोड़ रुपये जमा करने का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक को 5 सितंबर तक सात करोड़ जमा कराने के आदेश दिए हैं। इस रकम से 111 फ्लैट मालिकों को पैसा दिया जाएगा, जो फ्लैटों में नहीं रहना चाहते। सुपरटेक अब तक कोर्ट में 15 करोड़ रुपये जमा करा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 111 फ्लैट-खरीदारों ने कहा कि वह सुपरटेक के फ्लैट नहीं लेना चाहते और उन्हें पैसा वापस दिलवाया जाए। इनका पैसा वापस करने के लिए 35 करोड़ रुपये की जरूरत है।

भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार, जिला सहारनपुर
पत्रांक: ई/नियोजन/निविदा/प्रकाशन/2018-19/ दिनांक: 28.07.2018
भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार, जिला सहारनपुर में सक्षम एवं अनुभवी ठेकेदारों से ऑनलाइन ई-निविदायें (डिजिटली हस्ताक्षरित) आमंत्रित की जाती हैं—
1. मोबाइल टॉवर पर स्थित लिंक फीडर, एंटीना और आर एफ ऑप्टिमाइजेशन से सम्बन्धित रिगर कार्य हेतु।
2. दूरसंचार सामग्री को चढ़ाने, उतारने एवं परिवहन हेतु।
3. वाहनों को किराये पर लेने हेतु।
ई-निविदा सम्बन्धित शर्तें, अन्य जानकारी एवं ई-निविदाओं की विस्तृत जानकारी इत्यादि वेबसाइट www.upw.bsnl.co.in एवं www.eprocure.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। अन्य कोई संशोधन इत्यादि वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा ... नहीं किया जायेगा। इसके लिए निविदाकर्ता वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें।
सहायक महाप्रबंधक (योजना),
कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार, जिला सहारनपुर

उत्तर रेलवे
भण्डार नियंत्रक उत्तर रेलवे की नीलामी सूचना का संशोधन
इस रेलवे के अगस्त 2018 माह के नीलामी कार्यक्रम में निम्नलिखित संशोधन किया गया है:
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/आलमबाग, लखनऊ डिपो में 03.08.2018 को ई-नीलामी रद्द की जायेगी।
आलमबाग लखनऊ डिपो में 07.08.2018 को अतिरिक्त ई-नीलामी की जायेगी।
पूर्व में बतायी गयी अन्य सभी नीलामी की तारीखें यथावत रहेंगी।
ई-नीलामी से संबंधित अन्य विवरण हेतु कृपया रेलवे वेबसाइट www.ireps.gov.in देखें।
2370/2018
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, मुरादाबाद
पत्रांक–2747 / शुद्धि-पत्र / टेण्डर / 18-19 दिनांक–23.07.2018
ई-प्रोक्योरमेण्ट निविदा-शुद्धि-पत्र
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के ई-निविदा सूचना संख्या 2760/ई-निविदा सूचना / 18-19, दिनांक 12.07.2018 के द्वारा आमंत्रित की गयी ई-निविदा प्रपत्र वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर अपरिहार्य कारणों से अब दिनांक 04.08.2018 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 09.08.2018 अपराह्न 06.00 बजे तक अपलोड/डाउनलोड की जायेगी तथा प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 10.08.2018 को अपराह्न 2.00 बजे ऑनलाइन खोली जायेगी।
शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
(लक्ष्मी नारायण)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
मुरादाबाद
पत्रांक: 13446 दिनांक 27.07.2018
Website: www.upgov.nic.in

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
प्रधानमंत्री आवास योजना
सबके लिए आवास (शहरी)
के अन्तर्गत (जी+3) प्रकार के भवन का विशेष
पंजीकरण-2018
पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक 01.08.2018 से 31.08.2018 तक

क्रम सं.	खण्ड/ सेक्टर	भवन का प्रकार	कोड सं०	भवन का सुपर कारपेट एरिया क्षे. (वर्ग मी.)	तल	रिक्त भवन (संख्या)	विक्रय मूल्य प्रति भवन (रू० लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रू० में)	शेष धनराशि (रू० में)	भवन में मासिक किश्तों की संख्या एवं प्रति किश्त की धनराशि
1	ग्राम सोनकपुर गाटा सं. 811, 856	दुर्बल आय वर्ग (चार मंजिल)	01	33.06/ 23.50	GF FF SF TF	72 72 72 72	4.50 4.50 4.50 4.50	5,000.00	1,95,000.00	60 | 4395.00
2	ग्राम डिडाव टहिये	दुर्बल आय वर्ग (चार मंजिल)	02	33.06/ 23.50	GF FF SF TF	125 125 125 125	4.50 4.50 4.50 4.50	5,000.00	1,95,000.00	60 | 4395.00
3	ग्राम सिकरौड़ा फजलपुर गाटा सं० 2407	दुर्बल आय वर्ग (चार मंजिल)	03	33.06/ 23.50	GF FF SF TF	125 125 125 125	4.50 4.50 4.50 4.50	5,000.00	1,95,000.00	60 | 4395.00
4	ग्राम ढकिया गाटा सं० 369 370	दुर्बल आय वर्ग (चार मंजिल)	04	33.06/ 23.50	GF FF SF TF	76 76 76 76	4.50 4.50 4.50 4.50	5,000.00	1,95,000.00	60 | 4395.00

विस्तृत जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

उमंग डेयरीज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: गजरौला-हसनपुर रोड, गजरौला-244 235, जिला अमरोहा (उ.प्र.)
फोन: 05924-252165-6, सीआईएन: L15111UP1992PLC014942
ई-मेल: sharesumang@jkmail.com वेबसाइट: www.umangdairies.com
सूचना
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के साथ पठित, कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 9 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में होगी, जिसमें 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर स्वीकृत किया जाएगा।
यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.umangdairies.com और स्टॉक एक्सचेंज जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।
कृते उमंग डेयरीज लिमिटेड
हस्ता./-
(पंकज कामरा)
कम्पनी सचिव
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.07.2018

PRAKASH WOOLLEN & SYNTHETIC MILLS LIMITED
CIN – L17291UP1979PLC004804
Regd. Office: 11th Km Stone, Delhi Moradabad Road, NH 24, Village Amhera, Distt Amroha, UP- 244102
Website: www.prakashwoollen.com Email: info@prakashwoollen.com
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 11th August, 2018 to consider and take on record the Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2018 among other things.
A copy of the said Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website at www.prakashwoollen.com and on Stock Exchange Website at www.bseindia.com
For PRAKASH WOOLLEN & SYNTHETIC MILLS LIMITED
Sd/-
Place: Village Amhera (Amroha) (VIJAY KUMAR GUPTA)
Whole Time Director & CFO
Date: 30.07.2018 DIN: 00335325

कार्यालय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद
पत्रांक: अ०नि०/कुम्भ-2019/नि० ई०/2018/565 दिनांक: 30.07.2018
कुम्भ मेला वर्ष 2018-19
ई-निविदा आमन्त्रण सूचना (NIT)
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुम्भ मेला वर्ष 2018-19 में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा चिकित्सा एवं सफाई व्यवस्था के अन्तर्गत चार पहिया वाहन, स्टेशनरी व सम्बन्धित सामग्रियों तथा विडियोग्राफी, फोटोग्राफी एवं परिचय पत्र हेतु निम्न विवरणानुसार ई-निविदा आमंत्रित की गयी है:
1- चार पहिया वाहन- दिनांक 21.07.2018 से दिनांक 18.08.2018 को दोपहर 12:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड होगा एवं तकनीकी निविदा दिनांक 20.08.2018 को दोपहर 03:30 बजे तथा वित्तीय निविदा दिनांक 26.08.2018 को प्रातः 03:30 बजे खोली जायेगी।
2- स्टेशनरी व सम्बन्धित सामग्री- दिनांक 28.07.2018 से 18.08.2018 को अपराह्न 12:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड होगा एवं तकनीकी निविदा दिनांक 20.08.2018 को दोपहर 03:00 बजे तथा वित्तीय निविदा दिनांक 23.08.2018 को दोपहर 03:00 बजे खोली जायेगी।
3- विडियोग्राफी, फोटोग्राफी व परिचय पत्र- दिनांक 28.07.2018 से 18.08.2018 को अपराह्न 12:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड होगा एवं तकनीकी निविदा दिनांक 20.08.2018 को दोपहर 03:00 बजे तथा वित्तीय निविदा दिनांक 23.08.2018 को दोपहर 03:30 बजे खोली जायेगी।
उपरोक्त निविदा प्रपत्र उ०प्र० की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट http://etender.up.nic.in के पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के द्वारा डाउनलोड/अपलोड किए जा सकते हैं। उपरोक्त निविदा से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही कार्यालय कुम्भ मेला अधिकारी 2019 द्वारा की जायेगी।
निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में उपलब्ध हैं।
अपर निदेशक

28-yr-old man streams his suicide live on FB

STAFF REPORTER ■ GURUGRAM

A 28-year-old man committed suicide by hanging himself from a ceiling fan on Monday evening during a Facebook Live session. The incident took place in Pataudi area, some 28 kilometres from Gururgam city. It is suspected that he committed suicide after a fight with his wife and children, the police said.

According to the police, the deceased has been identified as Amit Chauhan, a resident of Jatoli village in Pataudi area. Police said Chauhan and his wife Preeti had differences over some family issue. The couple has two girl children.

"Preeti left her in-laws home on Monday after a tiff with her husband and called her parents, who took her to their house in a village near Sohna," the police said.

Meanwhile, his family claimed that Amit was not mentally fit and was undergoing treatment at Pandit Bhagwat Dayal Sharma Post Graduate Institute of Medical Sciences (PGIMS) Rohtak for a long period.

"The man hanged himself during a Facebook Live at around 7 pm at his residence. One of his friends saw his suicide attempt on the Facebook live session and rushed to his house and informed his family members. When they broke upon the door Amit hanged himself from a ceiling fan," Gurugram police spokesperson Subhash Boken said.

"The family cremated the body without informing Gurugram district police. A post examination was also not performed as the police was not aware of any such incident. The police came to know about the suicide thought Facebook at around 10 am, however by then the body had been cremated. His family members did not lodge any complaint in this regard. Further probe is underway to find the sequence of events that could have led Amit Chauhan to end his life," Boken said.

Woman hangs herself in house, no suicide note found; family cries foul

STAFF REPORTER ■ GURUGRAM

A 30-year-old woman allegedly committed suicide on Tuesday morning by hanging herself from a ceiling fan in her rented accommodation at Unitech Residency, Sector-33, under Sadar police station in Gurugram.

The woman, Bhawna Khanna and her husband Amit Khanna were living in a rented flat on the sixth floor at Unitech Residency along with their child. The couple got married 15 years ago. Her husband was a North India head of a leading Life Insurance company while the victim was a housewife.

According to the police, the family of the deceased alleged that there was a dispute between the couple for several issues. They also claimed that Amit and her in-laws continuously tortured the victim on a daily basis and that is why she took the extreme step. No suicide note was recovered from the crime scene, the police said.

"She informed her husband on phone before taking the extreme step. Her husband informed their relative to check her but by then she hanged himself, a police officer, said.

"A case under relevant sections of the Indian Penal Code (IPC) registered against the accused persons. Further probe into the matter is underway," said Inspector Arjun, Station House Officer of Sadar police station.

Human trafficking

16 Nepali, 2 Bengali girls rescued from Maidangarhi

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Eighteen girls (16 Nepali and two Bengali girls) were rescued from traffickers in Maidangarhi area of South Delhi on Tuesday by a joint raid by Varanasi Police Crime Branch and Vasant Vihar police. Three persons were arrested from the spot. Delhi Commission for Women (DCW) Chairperson Swati Maliwal spoke to the rescued girls. The rescued girls were sent to shelter homes.

On 23 July 2018, Varanasi Police Crime Branch registered an FIR stating 18 women being trafficked into Delhi and sold to Gulf countries for prostitution. Varanasi police then came to Delhi and raided the house in Maidan Garhi where the girls were kept confined, DCW Spokesperson stated.

Maliwal said, "68 passports belonging to 61 Nepali and 7 Indian girls were recovered from the house. One of the girls who was able to flee, informed the Varanasi police after which an FIR was registered. They were able to arrest three individuals."

DCW Chief said, Delhi has become a hub of human trafficking. DCW finds out about these rackets, Police of other States finds them out but Delhi Police continues to sleep. Varanasi Police informed me that the house in Maidangarhi has been used for past few years for trafficking girls in batches. How can the local police not know about the same?

DCW Chief and member Kiran Negi interacted with the girls aged between 18 to 30 years. They to speak initially but after counselling, they opened up and informed that they had been brought to Delhi for giving jobs. They informed that they are very poor and belong from the earthquake affected regions of Nepal, it said.

Maliwal is also contacting Nepal Embassy for repatriation of the girls. She has also requested them for ensuring their jobs in Nepal, DCW stated.

DCW Chief stated, "Delhi has become a hub of human trafficking. DCW finds out about these rackets, Police of other states finds them out but Delhi Police continues to sleep. Varanasi Police informed me that the house in Maidan garhi has been used for past few years for trafficking girls in batches. How can the local police not know about the same?", she asked.

Nikah Halala complainant gets death threat from hubby

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Muslim woman who moved the court challenging 'Triple Talaq' and 'Nikah Halala' (Polygamy) on Tuesday stepped on to the ground to seek help from the police and court to provide them security from their husbands and others from the same community who were allegedly threatening them (Women) for moving the court against their rituals and culture.

The practice of Nikah-Halala requires a divorced woman to marry someone else, consummate the marriage and then get a divorce in order to again marry her first husband under the Muslim personal law.

"Mission Talaq Abhiyan", a non-government organization (NGO), run by a group of woman especially Muslims come from various states has received nearly 8-9 petitions from various states claiming 'Death Threats' from their husbands and in-laws.

In an incident, Farzana Parveen, a Muslim woman who had recently filed petition in the apex court seeking abolition of Nikah Halala practice alleged that she has received death threats from her husband for moving to court.

"Since the day I filed petition in the high court, my husband is threatening me of killing and is pressurizing me to remarry with another person. When I refused, he started giving death threats by saying you have to listen to me, there is no court before me, I will kill you and your kid in such a way that the court and police cannot find and do nothing against me," said Farzana.

Farzana was living with her husband in Uttar Pradesh's Sikandarabad town. But four years ago, her husband left her and married another woman.

"My husband divorced me four years back through triple talaq and left us (me and my son) alone. After which we are living alone with the support of my father. But, after so many years he is back and is forcing me to do the 'Halala Nikah' with a person of my father's age. Every day he calls and gives me death threats," Farzana futher claimed.

Moreover, Shameena head of 'Mission talaq Abhiyan' allegedly said, "She is receiving threats from the Maulvis from Barelly and even threatened me to remove from my residence in Jasola near Okhla area. Further, they have idelcared a reward of 11,786 for those who will cut the hair of woman protesting against the Nikah-Halala."

PUBLIC NOTICE

My clients Ram Ratan S/o Late Sh. Sant Lal and his wife Smt. Sanyogita Both R/o H.No. 197, Village Tilangpur Kotla, Najafgarh, Delhi-43, have debarred & disowned their son Dinesh Tehlan and daughter-in-law Smt. Darshan from all their moveable and immoveable properties. My clients have severed all their relations with them due to their misconduct. My clients and their family members shall not be responsible for their any act(s)/misdeed(s). Any person(s) dealing with them, shall do so at his/her own risk(s), cost(s) and consequence(s).

Deepak Thukral (Advocate)
Ch. No. D-620,
Karkardooma Courts, Delhi-32
M.No.9891657761

WESTERN RAILWAY
VARIOUS WORKS

Tender Notice No.: WTR/17/2018/16 dated 27.07.2018 for tender on e-procurement mode only are invited by Chief Engineer (Track Supply), Head Quarter Office, Old Building, 2nd floor, Churchgate, Mumbai 400020 for supply of the following items: Sr. No. 1. Tender No.: 186026. Short Description: ERC Mk-V to RDSO drg. No. T-5919. EMD: ₹ 5,00,000/-. Date of opening: 05.09.2018. Tender Value: ₹ 7,96,50,000/-. Sr. No. 2. Tender No.: 186029. Short Description: ERC Mk-III to RDSO drg. No. T-3701. EMD: ₹ 5,00,000/-. Date of opening: 05.09.2018. Tender Value: ₹ 8,46,28,383/-. Sr. No. 3. Tender No.: 186025. Short Description: Metal Liners to RDSO drg. No. T-3740. EMD: ₹ 5,00,000/-. Date of opening: 05.09.2018. Tender Value: ₹ 2,81,02,187/-. For detailed Tender Conditions / Corrigendum please visit www.ireps.gov.in

Like us on: facebook.com/WesternRly 23

PRAKASH WOOLLEN & SYNTHETIC MILLS LIMITED
CIN - L17291UP1979PLC004804
Regd. Office: 18thKm Stone, Delhi Moradabad Road NH-24,
Village Amhera, Distt. J. P. Nagar, UP- 244102
Website: www.prakashwoollen.com
Email: info@prakashwoollen.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 11thAugust, 2018to consider and take on record the Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2018among other things.

A copy of the said Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website at www.prakashwoollen.com and on Stock Exchange Website at www.bseindia.com

For Prakash Woollen & Synthetic Mills Limited
Sd/-
VIJAY KUMAR GUPTA
WHOLETIME DIRECTOR & CFO
DIN: 00335325
Place : Village Amhera(Amroha)
Date : 30.07.2018

OSWAL LEASING LIMITED
CIN : L65910DL1983PLC016036
Regd. Office : 105, Ashoka Estate
24, Barakhamba Road, New Delhi-110 001
E-mail : oswal_leasing@owmnahar.com
BOARD MEETING NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 8th August, 2018 at 03.00 P.M. at its Registered Office, inter alia, to consider, and take on record the Unaudited Financial Results for the Quarter ended June, 30, 2018.
This notice is also available on the website of the company, i.e, www.owmnahar.com, website of Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com.

for Oswal Leasing Limited
(Sd/-)
(Vijay Kumar Gupta)
Director
Place: New Delhi
Date : 31.07.2018
DIN : 00506399

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all concern that Shri Pritam Singh S/o Late Sh. Dan Singh who is the original allottee of property No. Flat No. 23D, Block-B-5, Dhawalgiri Appt. Sector-34, Noida (U.P.) had sold the said property on General Power of Attorney basis to the following person(s).
General Power of Attorney was executed on 10/12/1999 in favour of Shri Rajender Singh Mehra S/o Late Sh. Dan Singh R/o Flat No. 23D, Block-B-5, Dhawalgiri Appt. Sector-34, Noida Distt. G.B. Nagar, U.P. which is registered and the Agreement to Sell was not registered or not executed. Because the Agreement to Sell is not registered, no Agreement to sell executed, so is informed to all concern that the said Property Flat No. 23D, Block-B-5, Dhawalgiri Appt., Noida is going to be transferred in favour of Smt. Mamta Verma W/o Shri Sanjay Verma R/o House No. 5883, Block-4, Gali No.-5, Khalsa Colony, Dev Nagar, Delhi-110005, if any one has/have any objection he/she may file his/her objection alongwith the sufficient proof in the Housing Department of the Noida Authority within 15 days from the date of publication of this notice.
Rajender Singh Mehra S/o Late Sh. Dan Singh

OSCAR GLOBAL LIMITED
CIN – L51909DL1990PLC041701
Regd. Office: 101, Plot No. 6, LSC, Vardhman Rajdhani Plaza, New Rajdhani Enclave, New Delhi-110092
Website:www.oscar-global.net
Email: oscar@oscar-global.com
NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 14th August, 2018 to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2018 among other things.
A copy of the said Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website at www.oscar-global.net and on Stock Exchange Website at www.bseindia.com

For OSCAR GLOBAL LIMITED
Sd/-
(PAWAN CHADHA)
Whole Time Director & CFO
Place : Noida
DIN: 00415795
Date : 31.07.2018

1 held at IGIA for bid to smuggle foreign currency worth ₹1 crore

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Customs have arrested a man for allegedly trying to smuggle out foreign currency worth over ₹ 1 crore at the Indira Gandhi International (IGI) Airport.

According to an official statement issued by the Customs, the accused was intercepted at the departure hall of the airport on Monday. He was to board a flight to Hong Kong, a statement issued by the customs said today.

He was carrying USD 1,50,700, equivalent to Rs 1.02 crore, which was kept in a black-coloured bagpack, it said, adding that the passenger was arrested and the currency seized.

In another case, a man was arrested for allegedly trying to smuggle into the country gold bars valuing about Rs 86 lakh.

The accused was intercepted by the customs after his arrival from Bangkok on Thursday. He was carrying three gold bars, collectively weighing 3 kg, the statement said. The passenger has been arrested and the gold bars were seized, it said.

Water supply to take hit in some areas due to flood

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Water supply will not be available in parts of the national Capital due to flood in the Palla area and subsequent power cut by Tata power Delhi Distribution Limited (TPDDL), following which the tube-wells in the Yamuna flood area is not in operation since the evening of July 30.

The areas where water will not be available or available are Sanjay Gandhi Transport Nagar, Holambi Kalan, Narela, Alipur, Narela Mandi, Punjabi Colony, Khera Kalan, Hiranki, Jhangola, Bhaktawarpur, Bhakoli, Budhpur, Tikri Khurd, Ghoga, Sannoth, Bankner, Singhu, Singhola, Badli, Sanja Gandhi Transport , Holambi Kalan and adjoining areas.

Delhi Jal Board has advised residents are advised to store sufficient quantity of water in advance as per their requirement. Water tankers will be available at telephone numbers 1916, 23527679, 23513073, 1800117118 (Central Control Room), 27700789, 27700231 (Holambi Kalan), 27619244, 27617609 (Burari Water Emergency).

Jt Commissioner foot patrols Mukherjee Nagar

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Joint CP Sagar Preet Hooda and DCP North West Aslam Khan interact with people during foot patrolling on Tuesday

Foot patrolling was undertaken on Tuesday in Mukherjee Nagar from Kingsway Camp to Batra Complex by the Joint Commissioner of Police, Northern Range Dr Sagar Preet Hood along with DCP (North West) Aslam Khan. The area is sensitive because it has high population density and has a huge number of private paying guests and hostels, according to the police.

The officials interacted with the Resident Welfare Associations, Market Welfare Associations and Eyes & Ears Scheme members, students, residents of North-Eastern States and the general public and were asked to give suggestions to strengthen the security and law and order situation of the area as well as talk about the safety and security measures and creating awareness about do's and don'ts keeping in view the upcoming Independence Day.

The Interaction was focused on issues such as proper verification of all tenants and also to keep proper vigil on the area, rectify faulty CCTV cameras installed in the markets and also install more CCTV cameras. To keep proper vigil of the area and briefed the guards and parking attendant accordingly. The Tenants and students were sensitized that if anything suspicious comes to their notice, the same should inform to police immediately. The members of Eye & Ears Scheme were also briefed to be more attentive keeping in view of upcoming Independence Day, DCP (North West) Aslam Khan stated in the release.

During interaction, people were made aware about the following helpline numbers for women (1091), Eyes & Ear Scheme (1090), Residents of North-Eastern States (1093), Senior Citizen, Children & Student (1291) and Foreigners (8750871111). All were also briefed to download Mobile App of Delhi Police "One Touch Away" and women were especially encouraged to download "Himmat plus App", she stated.

UJVN LIMITED
H.O.: "UJJWAL", Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun-248006
Telephones: 0135-2763508, Fax: 2763508 ISO 9001:2008 Certified
CIN No. U40101UR2001SGC025866
"e" Procurement
NOTICE INVITING TENDER
For and on behalf of UJVN Ltd , Executive Engineer(Civil),Lohiahead, Khatima , invites e-tenders in two bid systems from interested bidders for following work:

1	Tender Notice Reference NIT No.-09/EE. (Civil)/Lohiahead/Khatima/2018-19: Repair and extension of drains, Renovation of Toilets and Misc. Civil works at Sharda Power House, Lohiahead, Khatima.	
2	Tender Cost	Rs.38,39,968.00
3	Tender Fee	Rs.2360.00 (Including GST)
3	Earnest Money	Rs 96,000.00
4	Period of Completion	9 Months
5	Date & Time of availability of Tender Document on the Portal	From 17:00 hrs of 03.08.2018
6	Last Date & Time for submission of Tender on the portal	Up to 17:00 hrs of 24.08.2018.
7	Last Date of off line Submission of documents EMD, Tender Cost Stamp Paper, etc.	Up to 17:00 hrs of 25.08.2018
8	Date & Time of Opening of Tender on the portal	at 11:00 hrs of 28.08.2018
9	Name and Address of the Officer Inviting the Tender	Executive Engineer (Civil), Lohiahead, Khatima
10	Information regarding Addendum/ Corrigendum/ Cancellation etc of tender may be obtained from the website.:	
11	Full & Further Details of tender can be seen from the e- procurement portal "http://uktenders.gov.in	

"Avoid wasteful use of Electricity"

Court orders prosecution of private school authorities in 6-yr-old's death case in 2006

PTI ■ NEW DELHI

A court here has ordered prosecution of six persons, including the authorities of a South Delhi-based private school where a six-year-old boy was found dead in a water reservoir in 2006, for the offence of culpable homicide not amounting to murder.

Devansh Kakrora, a student of class I, was found dead in January, 2016 in the reservoir under the amphitheatre of Ryan International School in South Delhi. The initial post-mortem report had suggested he died of drowning.

The court said that prima facie there were ingredients available for constitution of the offence under section 304 part II of IPC, (if act is done with knowledge that it is likely to cause death, but without any intention to cause death). If convicted, the accused may get a maximum punishment of 10 years.

Metropolitan Magistrate Ambika Singh said the case file and documents show that water tank was maintained in the school with easy excess to children. "It was in fact, left unattended."

"There was no signage or caution board and no caretaker or guard was deputed there to prevent the entry of children. The opening was covered with temporary stone slab. Though, there should have been some iron grill cover having lock.

"Further, as per the report of CFSL team, the opening of the water tank is large enough that the child could fall even when the cover of the water tank was partially closed. There are evidence against the accused persons," the court said.

Those against whom the court ordered prosecution include school administrator Francis Thomas, its maintenance incharge, the school principal, the victim's class teacher, gardener and pump operator. "The material on record definitely disclose grave suspicion against the accused persons," the court said.

Although every possible care and caution has been taken to avoid errors or omissions, this publication is being sold on the condition and understanding that information given in this publication is merely for reference and must not be taken as having authority of or binding in any way on the writers, editors, publishers, and printers and sellers who do not owe any responsibility for any damage or loss to any person, a purchaser of this publication or not for the result of any action taken on the basis of this work. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent court and forums in Delhi/New Delhi only. Readers are advised and requested to verify and seek appropriate advice to satisfy themselves about the veracity of any kind of advertisement before responding to any contents published in this newspaper. The printer, publisher, editor and any employee of the Pioneer Group's will not be held responsible for any kind of claim made by the advertisers of the products & services and shall not be made responsible for any kind of loss, consequences and further product-related damages on such advertisements.

Printed and published by Chandan Mitra for and on behalf of CMYK Printech Ltd., No. 6, Behind Gulab Bhawan, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002, Phone: 011-40110455, Communication Office: F-31, Sector 6, NOIDA, Gautam Budh Nagar-201301, U.P. Phone: 0120-4879800 & 4879900 and printed at Jagran Prakashan Ltd, D 210, 211 Sector-63, Noida (U.P.). Editor: Chandan Mitra. AIR SURCHARGE of ₹ 2.00 East: Calcutta, North: Leh West: Mumbai & Ahmedabad South: Bangalore & Chennai. Central : Khajuraho. Lucknow Office: 4th Floor, Sahara Shopping Centre, Faizabad Road, Lucknow-226 016. Telephones: 0522-2346443, 2346444, 2346445.